03/18

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित।
वकील वादी की एक पक्षीय बहस
सुनी गई। पत्रावली का परीक्षण किया
गया। परीक्षण से पाया कि वादिया ने
अपने स्वयं के नाम भूमि वर्ष 2016 में
अपनी नाई मोची हिन्दू कौर पत्नी कुच्चा-
सिंह जट सिख को बेचान करना अंकित
किया है तथा अपनी माता बख्शो कौर
के नाम दर्ज हिस्सा हड़पने एवं बेचान
करने की नियत से हिन्दू उत्तराधिकार
अधिनियम 1956 की धारा 24 का हवाला
देते हुए वाद पत्र में अंकित किया है
कि प्रार्थीया की माता बख्शो कौर ने
पुनर्विवाह कर लिया है, अतः विरासत
में सम्पत्ति प्राप्त नही कर सकती। वादिया
अपने माता के नाम दर्ज हिस्सा को
राजस्व रिकार्ड में छलकपट द्वारा अंकन
होना अंकित करते हुए बहक वादिया
खिलाफ प्रतिवादीगण निषेधात्मक एवं डिक्री
कराना चाहती है। जबकि कानूनी स्थिति
यह है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम
1956 की धारा 24 दिनांक 09/09/2005
को विलोपित हो चुकी है। इस धारा के
तहत रिलिफ चाही है जो विलोपित हो
जाने से विधि द्वारा वर्जित हो गई है।
वादिया की माता के नाम राजस्व रिकार्ड
में दर्ज कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा कानून
सम्मत दर्ज है। वादिया स्वयं के नाम
राजस्व रिकार्ड में कोई भूमि दर्ज नहीं है।
अतः वादिया का वाद पत्र विधि द्वारा
वर्जित है। इसलिए वादिया का वाद पत्र
खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा
होकर दाखिल दफ्तर हो।
आदेश सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर